



काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
INSTITUTE OF WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
(Indian Council of Forestry Research and Education)



(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)
डाकघर मल्लेश्वरम/ P.O. Malleswaram, बेंगलुरु/Bengaluru – 560 003

आईसीएफआरई - इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईडब्ल्यूएसटी), बेंगलुरु के शैक्षिक दौरों के ललए ददशाननदेश

1. उद्देश्य

आईसीएफआरई-आईडब्ल्यूएसटी में शैक्षिक यात्रा काययक्रम का उद्देश्य छात्रों के बीच वाननकी, लकडी ववज्ञान, पयायवरण संरिण, वन संसाधनों के सतत उपयोग और संस्थान द्वारा ककए गए अनुसंधान गनतववधधयों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

2. पात्रता

संस्थान की लशिा यात्रा की योजना केवल किा VIII और उससे ऊपर (8वीं किा और उससे ऊपर) के छात्रों के ललए बनाई जानी चादहए।

- पूवय-ववश्वववद्यालय या समकि, डडप्लोमा कॉलेज, स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेज, इंजीननयररंग कॉलेज, वास्तुकला/इंटीररयर डडजाइन कॉलेज, ववश्वववद्यालय और अन्य उच्च लशिा संस्थानों के छात्र शैक्षिक यात्राओं के ललए पात्र हैं।
- केवल संस्थान के प्रमुख के माध्यम से ही मुलाकातों की अनुमनत दी जाएगी।

3. पूवय अनुमोदन

- सभी दूरे केवल पूवय अनुमनत से ही ककए जाएंगे।
- संस्था के लेटरहेड पर एक औपचारक अनुरोध कम से कम 15 कायय ददवसों से पहले आईडब्ल्यूएसटी तक पहु ंचना चादहए।
- अनुरोध में शालमल होना चादहए:
- संस्था का नाम और पता।
- यात्रा का उद्देश्य।
- पसंदीदा तारीख और समय।
- छात्रों और साथ जाने वाले संकाय सदस्यों की संख्या।
- संकाय समन्वयक का संपकय वववरण।

4. समूह का आकार

- न्यूनतम समूह आकार: 10 छात्र।
- अधधकतम समूह आकार: प्रनत यात्रा 50 छात्र।
- उपलब्धता के अधीन, बडे समूहों को कई बैचों में समायोजजत ककया जा सकता है।

5. साथी संकाय

- प्रत्येक 20 छात्रों के ललए कम से कम एक संकाय सदस्य समूह के साथ होगा।
- साथ में आने वाले संकाय को पूरे दूरे के दौरान छात्रों के अनुशासन, सुरिा और आचरण के ललए जजम्मेदार होना चादहए।

6. ड्रेस कोड और पहचान प्रमाण

- छात्रों और लशिकों को स्कूल की वदी या फॉर्मयल के कपडे पहनने चादहए।
- प्रत्येक आगंतुक को एक वैध कॉलेज/ववश्ववद्यालय पहचान पत्र ले जाना चादहए।
- मान्य पहचान के बबना आगंतुकों को प्रवेश से वंधचत ककया जा

7. सुरिा और सुरिा

- गंतुकों को संस्थान के सुरिा और सुरिा ननदेशों का सख्ती से पालन करना चादहए।
- प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुववधाओं और प्रनतबंधधत िेत्रों में प्रवेश केवल अधधकृत पययवेिण के तहत ही होगा।
- संसाधन व्यजक्तयों द्वारा वाताय और प्रस्तुनतयों की वीडडयो ररकॉडडिंग सख्त ननविद्ध है
- प्रयोगशालाओं या प्रनतबंधधत िेत्रों के अंदर फोटोग्राफी या वीडडयोग्राफी ननविद्ध है जब तक कक ववशेि रूप से अनुमनत न दी जाए।
- आगंतुकों को बबना अनुमनत के उपकरणों, नमूनों या अनुसंधान सामग्री को नहीं संभालना चादहए।
- संस्थान की संपवत्त को नुकसान पहु ंचाने या अनुसंधान गनतववधधयों में हस्तिप करने की संभावना वाले ककसी भी कायय को सख्ती से प्रनतबंधधत ककया गया है।

8. आचार संदहता

- आगंतुकों से अपेिा की जाती है:
- अनुशासन और मयायदा बनाए रखें।
- आईडब्ल्यूएसटी अधधकाररयों के ननदेशों का पालन करें।
- पररसर की स्वच्छता बनाए रखें।
- बच्चों के खेलने के िेत्र में खेल के मैदान के उपकरणों का उपयोग करने से सख्ती से बचें
- कूडा फेंकने, धूम्रपान, शराब या तंबाकू उत्पादों के सेवन और ननविद्ध पदार्थों के उपयोग से बचें।
- शोर पैदा करने या अनुसंधान गनतववधधयों को परेशान करने से बचें।
- पररसर में पेडों से फल, फूल, पवत्तयां आदद न तोड़ें
- पररसर की पाररजस्थनतक संवेदनशीलता का सम्मान करें।

9. मोबाइल फोन और इलेक्रॉननक उपकरण

- प्रस्तुनतयों और प्रयोगशाला दौरों के दौरान मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखा जाना चादहए। पूवय ललखखत अनुमनत के बबना ड्रोन या ककसी भी हवाई फोटोग्राफी उपकरण का उपयोग करना सख्त ननविद्ध है।

10. देयता

- आईडब्ल्यूएसटी आगंतुकों द्वारा लाए गए ककसी भी व्यजक्तगत सामान या कीमती सामान के नुकसान के ललए जजम्मेदार नहीं होगा। शैिखणक संस्थान यह सुननजश्चत करेंगे कक सभी प्रनतभाधगयों को उधचत अनुमनतयों द्वारा कवर ककया गया है और वे यात्रा करने के ललए धचककत्सकीय रूप से कफट

11. रद्द करना या पुनननयधायररत करना

- आधधकाररक व्यस्तताओं, सुरिा कारणों, रखरखाव गनतववधधयों या अन्य अप्रत्यालशत पररजस्थनतयों के कारण आईडब्ल्यूएसटी ककसी भी यात्रा को रद्द करने, स्थधगत करने या पुनननयधायररत करने का अधधकार सुरक्षित रखता है।

12. जनरल

- शैक्षिक यात्राओं की अनुमनत और संचालन के संबंध में ननदेशक, आईसीएफआरई आईडब्ल्यूएसटी, बेंगलुरु का ननणयय अनंतम और बाध्यकारी होगा।

नोट: इन ददशाननदेशों को आगंतुकों की सुरिा और संस्थान के भीतर अनुसंधान गनतववधधयो ं के सुचारू संचालन को सुननजश्चत करने के ललए जारी ककया गया है।